

# निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

152

/अनि0स्था0/2024-25

दिनांक: 19 जून 2024

## विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं0-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 15-06-2023, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-13 एवं धारा-17(1)ख (एक से सात) में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल-10) को उसी पद एवं वेतनमान में अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश चन्द्र सती	का0उ0शि0अ0 नारायणबगड़, चमोली	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रतूड़ा, रूद्रप्रयाग।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	का0उ0शि0अ0 जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।	का0अ0नि0मा0शि0 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्री जूरा सिंह महारा	का0उ0शि0अ0 दशोली, चमोली।	का0खं0शि0अ0 जखोली, रूद्रप्रयाग।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री नरेन्द्र कुमार जोशी	का0उ0शि0अ0 खटीमा, उ0सिं0 नगर।	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री जगप्रीत सिंह	का0उ0शि0अ0 नारसन, हरिद्वार।	का0उ0शि0अ0 बहादुराबाद, हरिद्वार।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
6	श्रीमती किरन जोशी	का0उ0शि0अ0 पाटी, चंपावत।	रा0इ0का0 लोहाघाट, चंपावत।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
7	श्री गोविन्द सिंह रावत	का0उ0शि0अ0 हवालबाग, अल्मोड़ा।	जिला शिक्षा एवं प्रशि0 संस्थान, अल्मोड़ा।	गम्भीर रोगग्रस्त	उपलब्ध रिक्त पद पर।
8	डा0 रमा पाण्डे	का0उ0शि0अ0 धौलादेवी, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 सितारगंज, उधम सिंह नगर।	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
9	श्री नीरज बिष्ट	का0खं0शि0अ0 पाटी, चंपावत।	का0खं0शि0अ0 नारायणबगड़, चमोली।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
10	श्री शंकर सिंह बिष्ट	का0खं0शि0अ0 नन्दानगर, चमोली।	का0खं0शि0अ0 दशोली, चमोली।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
11	श्री महिपाल सिंह पंवार	का0उ0शि0अ0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा।	का0उ0शि0अ0 जोशीमठ, चमोली।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
12	श्री आलोक कुमार टम्टा	का0उ0शि0अ0 भैंसियाछाना, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 हवालबाग, अल्मोड़ा।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
13	श्री मनोज कुमार थपलियाल	का0खं0शि0अ0 थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	का0उ0शि0अ0 नौगांव, उत्तरकाशी।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।

Kuldeep

18


2

2024

14	श्री भागीरथ प्रसाद नौटियाल	का0खं0शि0अ0 मोरी, उत्तरकाशी।	का0उ0शि0अ0 थौलघार, टिहरी गढ़वाल।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
15	श्रीमती हेमा कन्याल	का0खं0शि0अ0 ओखलकाण्डा, नैनीताल।	का0खं0शि0अ0 वेतालघाट, नैनीताल।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
16	श्रीमती देवकी विष्ट	का0उ0शि0अ0 भीमताल, नैनीताल।	अ0उ0रा0वा0इ0का0 किच्छा, उ0सिं0 नगर।	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर।
17	श्री नरेन्द्र सिंह देवली	का0उ0शि0अ0 मुन्स्यारी, पिथौरागढ़।	का0खं0शि0अ0 मुन्स्यारी, पिथौरागढ़।	दुर्गम से दुर्गम श्रेणी	उपलब्ध रिक्त पद पर
18	श्री नीरज लोहनी	का0उ0शि0अ0 ओखलकाण्डा, नैनीताल।	का0खं0शि0अ0 भिक्यारसैण, अल्मोड़ा।	दुर्गम से दुर्गम श्रेणी	उपलब्ध रिक्त पद पर

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. उक्त सूची में ऐसे स्थानान्तरित अधिकारी जो जनपद चमोली एवं हरिद्वार के अन्तर्गत हैं को संबंधित जनपद में विधानसभा उप चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही करेंगे।

  
(रामकृष्ण उनियाल)  
निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

/अनि0स्था0/2024-25 तददिनांक।

पृ0सं0/सेवायें-3(3)/ 4308-4322  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।






12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक (जनपद चमोली एवं हरिद्वार को छोड़कर) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद चमोली एवं हरिद्वार से संबंधित स्थानान्तरित अधिकारियों को उक्त जनपद में विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

Kulsh

Rz

  
(कमल बड़वाल)  
उप निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
6/2024